फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ग्यारसीलाल बनाम एम.एल कास्टिंग

मुकदमा संख्या– प्रार्थना पत्र–विविध .....19..../2023

19/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र इजराय विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार जयपुर के द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है। साथ ही अधिवक्ता ने बताया कि इनके द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 व 153 सीपीसी पेश किया गया है। जिसमें आज तारीख नियत है तथा इस न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 22.08.2022 में लिपिकिय त्रुटि की गई है, साथ ही अवगत कराया कि प्रार्थी ग्यारसीलाल ने अपने हिस्से का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 10.02.2022 को गणपति इन्फ्रा जो एक पार्टनरशिप फर्म हैं जिसके प्रापराईटर जरिये पार्टनर राजेश कुमार गोयल को बेचान कर दी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी का नामान्तकरण खुल चुका है। वकील प्रार्थी द्वारा तत्पश्चात प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर जिन्हें पक्षकार बनाया गया था एवं संशोधित उनवान पेश कर दिया गया था। जिसमें संसोधन कर नया आदेश पारित किया जाना उचित रहेगा।

वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली को तलब किया है। मूल पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 व 153 सीपीसी पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि दिनांक 22.08.2022 को न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई, उसमे पूर्व खातेदार ग्यारसीलाल के स्थान पर प्रार्थी गणपति ईन्फ्रा पार्टनरशिप फर्म पंजीकृत कार्यालय दुकान नम्बर एफ 119–120 फस्ट फलोर सिटी स्टार सेन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर जरिये प्रोपराईटर राजेश गोयल का नाम अंकित किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2022 में संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ग्यारसीलाल बनाम एम.एल कास्टिंग

मुकदमा संख्या– प्रार्थना पत्र–विविध .....19..../2023

हमने वकील वादी/प्रार्थी द्वारा पेश 152 व 153 सीपीसी व तहसीलदार जयपुर से प्राप्त पत्रांक दिनांक 28.03.2023 तथा प्रार्थना पत्र इजराय एवं मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की लिपिकिय त्रुटि/टंकण त्रुटि नहीं पाई गई है,ऐसे में वकील प्रार्थी का प्रार्थना 152 व 153 सीपीसी को खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम